BSES

खिलौना निर्माता पर 1.18 करोड़ का जुर्माना, डेढ़ साल की सश्रम कैद

स्पेशल कोर्ट का आदेशः तीन माह तक बिजली भी नहीं मिलेगी

- एक अन्य मामले में स्पेशल कोर्ट ने पिता– पुत्रों को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा

नई दिल्लीः 23 मार्च, 2011। द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में खिलौना निर्माता विरेंदर सहरावत पर 1.18 करोड़ रूपये का जुर्माना किया है। साथ ही, उसे डेढ़ साल सश्रम कैद की सजा भी सुनाई है। यदि वह जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करता है तो उसे अलग से, और तीन महीने जेल में काटने होंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अभियुक्त को अगले तीन महीने तक बिजली न दी जाए। उल्लेखनीय है कि यह खिलौना निर्माता पहले से ही बिजली चोरी के एक अन्य मामले में जेल की सजा काट रहा है।

अगस्त 2007 में बीएसईएस टीम को खबर मिली थी कि खिलौना निर्माता विरेंदर सहरावत की औद्योगिक इकाई (आरजेड 296/ ए1, खसरा नंबर 188, गली नंबर 11, दुर्गा पार्क, पालम) में भारी मात्रा में बिजली की चोरी हो रही है। बीएसईएस टीम जब वहां छापेमारी के लिए पहुंची, तो देखा कि सहरावत की औद्योगिक इकाई में न सिर्फ खिलौनों का निर्माण हो रहा है, बल्कि वहां प्रिंटिंग प्रेस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम भी हो रहा है। एन्फोर्समेंट टीम ने वहां छापेमारी कर, 118 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी। इसमें 106. 22 किलोवॉट का औद्योगिक लोड था, और 5.95 किलोवॉट का घरेलू लोड। बीएसईएस ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के तहत, सहरावत पर 41.99 लाख रूपये का जुर्माना किया था।

लेकिन खिलौना निर्माता सहरावत ने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। इसके बाद बीएसईएस इस मामले को स्पेशल कोर्ट में ले गई। अब स्पेशल कोर्ट ने विरेंदर सहरावत पर 1.18 करोड़ रूपये का जुर्माना किया और डेढ़ साल की सश्रम कैद की सजा भी सुनाई। यही नहीं, कोर्ट ने उस औद्योगिक इकाई को अगले तीन माह तक बिजली न देने का हुक्म भी सुनाया है। यदि व्यवसायी जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अलग से, और तीन माह जेल में काटने होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि जुर्माने की रकम का भुगतान होता है, तो शिकायतकर्ता (बीआरपीएल) को सिविल लायबिलिटी के तौर पर करीब 40 लाख रूपये मिलेंगे।

गौरतलब है कि विरेंदर सहरावत बिजली चोरी के अन्य मामले में पहले से ही जेल की सजा काट रहा है। पहले वाले मामले में स्पेशल कोर्ट ने उस पर 52 लाख रूपये का जुर्माना किया था और सवा साल सामान्य कैद की सजा सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि सहरावत के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने एक साल के भीतर यह दूसरी सजा सुनाई है।

वैसे, सुनवाई के दौरान खिलौना निर्माता ने अपनी ओर से बचने की पूरी कोशिश की और कहा कि जिस जगह पर बिजली चोरी के खिलाफ छापा मारा गया था, वह उस जगह का मालिक नहीं है। वह उस मकान के बाहर सिर्फ अपनी गायें बांधता था। लेकिन बीआरपीएल की लीगल टीम द्वारा पेश किए गए सबूतों के आगे सहरावत की एक दलील न चली। और, स्पेशल कोर्ट ने सहरावत को हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी करार देते हुए कहा कि इस मामले में नरमी बरतने का कोई कारण नजर नहीं आता।

जाफराबाद में बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम के साथ मारपीट, पिता–पुत्र जेल में

इधर, बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम के साथ मारपीट करने वाले पिता–पुत्रों को गिरफ्तार कर, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित मेटोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत ने जाफराबाद के इंदिरा चौक निवासी अहमद अली और उनके दो पुत्रों अरशद और जोहर को तिहाड़ जेल भेज दिया है। उन पर, बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करने गई बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम के साथ मारपीट का आरोप था।

दरअसल, एक जिम्मेदार नागरिक ने बीवाईपीएल टीम को खबर दी थी कि 645, गली नंबर 26, इंदिरा चौक जाफराबाद में भारी मात्रा में बिजली की चोरी हो रही है। कंपनी की एन्फोर्समेंट टीम पूरी तैयारी के साथ उक्त पते पर पहुंची, लेकिन उन्हें घर की चेकिंग नहीं करने दी गई। जब अधिकारियों ने पब्लिक ड्यूटी पर होने का हवाला देते हुए जांच करने देने को कहा, तो उनके साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया, बल्कि मारपीट भी की गई।

घटना के बाद, एन्फोर्समेंट टीम ने पुलिस में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपियों की ओर से जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई। लेकिन, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समय बचाएं। ईंधन बचाएं। पैसे बचाएं। **www.bsesdelhi.com** पर लॉगऑन करें।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 3999415 / 9350130304